वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर

पत्रांक: पू.विवि../सम्ब /01–65 (तीन)/2009/ 449
दिनांक: 22-3-2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्व0 ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय,
छेवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़।

विषय:– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत विषय में अतिरिक्त प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–11.01.2013 एवं 13.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक–09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **03 अथवा 05** वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि **इनके अंक–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

स्नातक स्तर–

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	प्रवक्ता	अर्हता
1	डॉ0 चन्दन तिवारी	श्री श्रीकान्त तिवारी	15.08.1978	संस्कृत	पी0एच–डी0–2012
2	डॉ0 राजेश्वर कुमार मिश्र	श्री अम्बिका प्रसाद मिश्र	09.06.1970	संस्कृत	पी0एच–डी0–2012

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रुप से लागू किया जाय।

भवदीय
22/3/13
कुलसचिव